श्रमायुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश

518 न्यू मोती बंगला, एम.जी. रोड, इन्दौर & 452007

Phone: 0731-2432822, Fax : 0731-2536600

Email : lcmpenf@mp.gov.in Website :http:// labour.mponline.gov.in

क्रमांक: 227/ऑफ ला./नवम/प्रवर्तन/2025/ 5986 इन्दौर, दिनांक 02/03/26

प्रति,

समस्त विभागाध्यक्ष/मण्डल/निगम/प्राधिकरण प्रमुख, मध्य प्रदेश

विषय: विभागों/मण्डलों/निगमों द्वारा ठेका श्रमिक/आउटसोर्स कर्मचारियों के नियोजन में वैधानिक पंजीयन एवं लाइसेंस संबंधी प्रावधानों के पालन के संबंध में।

विगत अवधि में यह अवलोकन में आया है कि विभिन्न शासकीय विभागों, मण्डलों, निगमों एवं विशेषतः निर्माण कार्य संपादित करने वाले संस्थानों द्वारा ठेका श्रमिकों एवं आउटसोर्स कर्मचारियों का नियोजन ठेकेदार/एजेंसियों के माध्यम से किया जा रहा है।

कुछ प्रकरणों में यह भी पाया गया है कि प्रमुख नियोजक के रूप में पंजीयन तथा संबंधित ठेकेदारों द्वारा वैधानिक लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया समय पर पूर्ण नहीं हो पाती है। यह स्थिति मुख्यतः प्रक्रियात्मक जानकारी के अभाव अथवा कार्यादेश की सूचना श्रम कार्यालय को समय पर उपलब्ध न होने के कारण उत्पन्न होती है।

उक्त संदर्भ में प्रचलित वैधानिक प्रावधानों की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराना अपेक्षित है।

1. प्रासंगिक वैधानिक प्रावधान

(क) संविदा श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970

धारा 7 – प्रत्येक प्रतिष्ठान, जहाँ 50 या उससे अधिक ठेका श्रमिक नियोजित हों अथवा पूर्ववर्ती 12 माह में किसी भी दिन नियोजित रहे हों, वहाँ प्रमुख नियोजक द्वारा पंजीयन कराना अपेक्षित है।

धारा 12 – कोई भी ठेकेदार, वैध लाइसेंस प्राप्त किए बिना, ठेका श्रमिक नियोजित नहीं कर सकता।

धारा 23 – पंजीयन/लाइसेंस के अभाव में ठेका श्रमिक नियोजन दंडनीय है।

(ख) व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता, 2020

धारा 47 – संविदा श्रमिकों के नियोजन हेतु लाइसेंस संबंधी प्रावधान।

धारा 03 – प्रमुख नियोजक का पंजीयन।

धारा 92 से 96 एवं 114 – उल्लंघन की दशा में दंड एवं प्रशमन का प्रावधान।

उक्त कोड के अंतर्गत एकीकृत/पोर्टल आधारित पंजीयन एवं लाइसेंस प्रणाली का प्रावधान है। नियम पूर्ण रूप से प्रभावी होने तक, संबंधित पूर्व प्रावधान लागू रहेंगे।

2. अपेक्षित सावधानियाँ एवं समन्वय

श्रमिकों के हितों की सुरक्षा तथा विधिक अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु आपसे अनुरोध है कि—

1. जहाँ 50 या अधिक ठेका श्रमिक नियोजित हैं/नियोजित किए जाने प्रस्तावित हैं, वहाँ प्रमुख नियोजक के रूप में पंजीयन की स्थिति की समीक्षा कर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।

2. किसी भी एजेंसी/ठेकेदार को कार्यादेश जारी करते समय यह सुनिश्चित किया जाए कि संबंधित ठेकेदार के पास वैध एवं प्रभावी लाइसेंस उपलब्ध हो।

3. प्रत्येक जारी कार्यादेश (Work Order) की प्रति संबंधित क्षेत्रीय श्रम कार्यालय को उपलब्ध कराई जाए, जिससे आवश्यक मार्गदर्शन एवं समन्वय किया जा सके।

4. कार्यादेश जारी होने के पश्चात् यथाशीघ्र यह परीक्षण कर लिया जाए कि पंजीयन एवं लाइसेंस की औपचारिकताएँ पूर्ण हैं।

5. भविष्य में कार्य प्रारंभ होने से पूर्व वैधानिक अनुपालन की पुष्टि कर ली जाए।

3. समन्वय हेतु

यदि पंजीयन अथवा लाइसेंस संबंधी प्रक्रिया में किसी प्रकार की तकनीकी अथवा प्रक्रियात्मक कठिनाई हो, तो संबंधित क्षेत्रीय श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम आयुक्त से संपर्क कर मार्गदर्शन प्राप्त किया जा सकता है। श्रम विभाग इस संबंध में पूर्ण सहयोग हेतु प्रतिबद्ध है।

आपसे अनुरोध है कि उक्त विषय का संज्ञान लेते हुए अपने अधीनस्थ कार्यालयों/संस्थाओं को आवश्यक निर्देश जारी करने का कष्ट करें, जिससे विधिक प्रावधानों का सुचारु पालन सुनिश्चित हो सके तथा श्रमिकों के हितों की प्रभावी सुरक्षा हो।

02/3

(तन्वी हुड्डा)
श्रम आयुक्त
मध्य प्रदेश

क्रमांक: 227 /ऑफ ला./नवम/प्रवर्तन/2025/ 5287-88 **इन्दौर, दिनांक** 02/03/26

प्रतिलिपि:

1. सचिव, म.प्र. शासन, श्रम विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. संबंधित अभिलेख हेतु।

श्रम आयुक्त
मध्य प्रदेश

UNCOMPLYCATE
simplifying compliance